FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0328 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 11/12/2025 17:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 09/10/2025 **Date To (दिनांक तक):** 09/12/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:35 बजे **Time To (समय तक):** 16:10 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/12/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 11/12/2025 17:40:29 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 325 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** PARIVADI KA KIRAE KA MAKAN, SHREE JAGDISH MEENA KA, ITAWA ROAD, AYANA JILA KOTA
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PAWAN JAIN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SURENDRA JAIN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO. 05, MALIYO KA MOHALLA, AYANA, AYANA, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO. 05, MALIYO KA MOHALLA, AYANA, AYANA, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ATUL KUMAR SINGH		पिता:NANDAN SINGH	1. 2/202,SETOR,L.D.A. COLONY,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 09.10.2025 समय 04.35 पी.एम. पर भ्र.नि.ब्यूरो चौकी कोटा पर परिवादी श्री पवन जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन जाति जैन उम्र 33 साल निवासी- गाृरम अयाना जिला कोटा उपस्थित हुआ तथा श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि मै पवन जैन अयाना का रहने वाला हॅू, मै किराने का व्यवसाय करता हॅू, राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा अयाना से 24,50,000 का होम लोन स्वीकृत करवाया है, जिसकी प्रथम किस्त 8,00,000 लाख दिनांक 25.09.2025 को मेरे खाते में आ गई है। होम लॉन की द्वितीय किस्त की राशि 7,00,000 लाख रूपये मेरे खाते में डलवाने की एवज में बैंक कर्मचारी श्री अतुल सिंह मेरे से 1,00,000 रूपये रिश्वत के रूप में मांग कर रहा है नहीं तो दूसरी किस्त को रोकने की धमकी दे रहा है। मै मेरे काम कि लिए बैंक कर्मचारी अतुल को रिश्वत नहीं देना चाहता हॅू, और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हॅू। कृपा कर ऐसे भ्रष्ट बैंक कर्मचारी के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से मामला रिश्वत मांग का होने से शिकायत का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। इस पर उप अधीक्षक श्री अनिष अहमद को अपने कक्ष मे बुलाकर उपस्थित परिवादी से आपसी परिचय करवाया श्री पवन जैन द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। निर्देशानुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस, परिवादी श्री पवन जैन को साथ लेकर स्वयं के कक्ष मे आया तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने सें कार्यालय में कार्यरत श्री योगेश गोचर कानि नं. 291 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री पवन जैन से आपसी परिचय करवाया गया। इसके बाद समय 05.00 पी.एम.पर कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया तथा श्री पवन जैन को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी श्री पवन जैन के साथ श्री योगेश गोचर कानि. 291 को गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन की निगरानी हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर की फर्द सुपुर्दगी पृथक सें मुर्तिब की गई । इसके बाद समय करीब 9.00 पी.एम. पर श्री योगेश कानि0 291 ने जर्ये व्हाटसअप कॉल कर मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आपके निर्देशानुसार मै परिवादी पवन जैन के साथ रवाना होकर अयाना आया हॅू, जहां पर प्रेमपुरा नहर के पास परिवादी पवन जैन से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रिकॉर्डर को चालु करवा कर संदिग्ध आरोपी अतुल सिंह बैक कर्मी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु मोटर साईकिल से राजस्थान ग्रामीण बैक अयाना रवाना किया तथा मैं भी परिवादी पवन जैन जी के पीछे-पीछे प्राईवेट वाहन से राजस्थान ग्रामीण बैक अयाना के सामने मेनरोड पर पहुंचा तथा अपनी उपस्थिति छुपाते हुए उपस्थिति रहा। परिवादी आरोपी का इन्तजार करने लगा थोडी देर बाद आरोपी अतुल सिंह वहां पर आया तथा परिवादी की मोटर साईकिल पर बैठ कर अयाना कस्बा पार करते हुए नहर की तरफ एकान्त में जाकर रूक गए। मै भी उनके पीछे पीछे जर्ये प्राईवेट वाहन से थोडी दूरी पर खडा हो देख रहा था। थोडी देर बाद परिवादी व आरोपी मोटर साईकिल स्टार्ट करके वापस अयाना कस्बे की तरफ आ गए और परिवादी नें आरोपी को राजस्थान ग्रामीण बैक अयाना के सामने उतार दिया और परिवादी वहां से रवाना होकर मेरे पास आया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द किया जिसको मैने बन्द किया और अपने पास रखा। पूछने पर परिवादी ने बताया कि आपके कहे अनुसार में मोटर साईकिल पर रवाना होकर राजस्थान ग्रामीण बैक अयाना के सामने गया जहां आरोपी अतुल सिंह कुछ समय में मुझसे मिलने के लिए बैंक से बाहर आया जहां से हम दोनो बात करते हुए मोटर साईकिल पर अयाना कस्बा पार करते हुए नहर के रोड पर एकान्त जगह पर गाडी रोकी तथा मैने अतुल सिंह से मेरे होम लोन से संबंधित बातचीत की जिसमें मैने आरोपी अतुल सिंह से मैरी होम लोन की सैकण्ड किस्त डलवाले की बात की तो 40,000 हजार रूपये, रिश्वत राशि की मांग की है। उसके बाद में उसे वापस राजस्थान ग्रामीण बैक अयाना के सामने उतार कर आपके पास आया हॅू। मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड वार्ता को सुना तो परिवादी द्वारा बताए गए सत्यापन हालात की पुष्टी हुई हैं। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा योगेश के मोबाईल से परिवादी से बात कर हालात की पुष्टी की। परिवादी ने बताया कि मै अभी कोटा नहीं आ सकता और मुझे रिश्वत में दी जाने वाली राशि 40,000 रूपये की व्यवस्था भी करनी है। इस पर श्री योगेश कानि0 291 को निर्देश दिए कि परिवादी से डिजीटल वॉयस

रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर परिवादी को रूखसत कर कार्यालय हाजा आने की हिदायत की गई इस पर समय करीब 11.30 पी.एम. श्री योगेश कानि0 291 मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय हाजा उपस्थित आया। पूर्व में बताए गए सत्यापन हालात दोहराए जिनकी पुष्टि मन उप अधीक्षक पुलिस ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड वार्ता को सुन कर की। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड कार्यालय हाजा में सुरक्षित रखवाया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर की फर्द प्राप्ति पृथक सें मुर्तिब की गई ।दिनांक 10.10.2025 को समय 09.00 ए.एम. पर परिवादी श्री पवन जैन ने जरिये व्हाटसअप कॉल कर मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मैने आरोपी अतुल सिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 40,000 रूपये की व्यवस्था कर ली है और मैं यंहा सें कोटा के लिए रवाना हो रहा हूं। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह तलब कर लाने हेतु श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 को श्रीमान उपवन संरक्षक, कोटा के नाम तहरीर जारी कर दो स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा रवाना किया गया, जो दो स्वतंत्र गवाहान श्री जाकीर हुसैन पुत्र श्री सलीम मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 34 साल निवासी- वार्ड नम्बर 9, कन्याशाला की तरफ, बडौद, थाना बुढादीत जिला कोटा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय, उपवन संरक्षक, कोटा, एवं श्री बाबूलाल जाट पुत्र श्री मोतीराम जाट जाति जाट उम्र 40 निवासी- ग्राम दादिया रामपुरा तहसील रिंगस जिला सीकर हाल वन रक्षक, उपवन सरक्षक, कोटा को हमराह लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। उपस्थित गवाहान से मन उप अधीक्षक पुलिस ने आपसी परिचय कर होने वाली ट्रेप कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु सहमति चाही तो दोनो गवाहन ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की, इस पर दोनों गवाहान को परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढवाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। इसके बाद समय करीब 11.00 ए.एम.पर परिवादी श्री पवन जैन उपस्थित कार्यालय हाजा आया। जिसका उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री जाकीर हुसैन व श्री बाबूलाल जाट से आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् समय 11.30 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री जाकीर हुसैन व श्री बाबूलाल जाट के समक्ष परिवादी श्री पवन जैन व आरोपी अतुल सिंह के मध्य दिनांक 09.10.2025 को हुई वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉडर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया था, को श्री योगेश गोचर कानि0 291 के द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉडर मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे कनेक्ट कर वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनो गवाहान को सुनाया गया, तो परिवादी ने रिकोर्डेड आवाज की पहचान कर एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी अतुल सिंह की होना बताया। मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री योगेश कानि0 291 से जर्ये लेपटॉप रिकोर्डेड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार करवायी जाकर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 02.00 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री पवन जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र जैन जाति महाजन उम्र 32 साल निवासी-वार्ड न0 5, मालियो का मोहल्ला, अयाना, जिला कोटा ने श्री अतुल सिंह, असिस्टेन्ट बैंक मैनेजर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 80 नोट कुल 40,000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनके नम्बर इस प्रकार हैं-क्र. सं. नोटों का विवरण नोटों के नम्बर1. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0BD 0344172. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8NG 2797593. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5FB 4880444. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0AM 3180195. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3AB 5712256. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2RH 4677937. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1VB 5458148. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6SQ 9876839. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8FL 18032810. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8UD 91755611. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4ES 01694712. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9TA 13126213. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2RD 26691914. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3BQ 39758915. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7KC 31042716. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9VD 47607917. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3MW 68823318. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0NB 84263919. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7GL 25454020. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2WF 15754121. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2DB 04774822. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1GQ 04103423. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0DC 36746424. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0UB 65692925. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4FL 42429926. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7TU 91319427. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0PK 64371228. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8BN 84744129. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4GP 24069630.पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8CM 11730431. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4AD 69115032. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4AD 69114833. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4AD 69114734. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09541035. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09541136. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09541237. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09541338. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09541439. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09541540. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का

नोट 7QF 09541641. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09541742. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09541843. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09541944. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09542045. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09542146. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09542247. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09542348. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09542449. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09542550. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09542651. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09542752. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09542853. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09542954. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09543055. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09543156. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09543257. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09543358. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09543459. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09543560. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09543661. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09543762. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09543863. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09543964. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09544065. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09544166. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09544267. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09544368. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09544469. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09544570. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09544671. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09544772. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09544873. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09544974. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09545075. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09545176. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09545277. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09545378.पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09545479. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 09545580. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QF 095456 श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 के द्वारा मालखाने सें फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई एक अखबार के ऊपर थोडा फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर डलवाकर कर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनॉफ्थीलीन पाउडर भलीभांती लगवाया गया। गवाह श्री जाकीर हुसैन सें श्री पवन जैन की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर लगे नोटों को श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 सें सीधे ही पवन जैन की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवाये गये एक डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा इस घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 के फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अगुंलियों को घुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया इस प्रकार फिनॉल्फ्थीलीन व सोडियम कार्बोनेट के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टांत देकर संबंधितों को समझाया गया। श्री पवन जैन को हिदायत की गई की आरोपी व्यक्ति सें हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे हुये नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप सें हाथ लगाये। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगी रिश्वत राशि पांच-पांच सौ रूपये के 80 नोट कुल 40,000/- रूपये को अपनी पेंट की जेब सें निकालकर आरोपी को देवें तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप कार्यवाही के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर की शीशी को जरिये श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 से वापस मालखाने में रखवाई गई। नोटों के पाउडर लगाने में प्रयुक्त अखबार एवं प्लास्टिक के गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी धुलवाकर उसको कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयों मय ढक्कन को अच्छी तरह साबुन सें धुलवाकर साफ करवाया गया व प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास लिये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साबुन व पानी सें अच्छी तरह धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई की परिवादी के आस-पास नजदीक रहकर श्री पवन जैन एवं आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेनदेन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड देकर उसें चलाने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड परिवादी के गले में धागे सें लटकाया गया तथा हिदायत दी गई की आरोपी सें होने वाली वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय करीब 03.00 पी.एम. पर परिवादी श्री पवन जैन के साथ श्री योगेश कानि0 291 व श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197 को परिवादी के वाहन से, सरकारी वाहन जीप मय चालक श्री महेन्द्र सिंह 507 के मय जाप्ता श्री ब्रजराज सिंह हैड कानि0 144, श्री रवि कुमार कानि0 285, गौरव, कनिष्ठ सहायक, एवं स्वतन्त्र गवाह जाकिर हुसैन, को रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाह श्री बाबूलाल जाट, जाप्ता श्री आशिक हुसैन स.उ.नि., श्री मनोज कानि. 211, मय सरकारी वाहन बौलेरो मय चालक श्री तवंर सिंह कानि ड्राईवर नं. 506 के मय ट्रेप बॉक्स, लेप टोप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉईस रिकार्डर,

सत्यापन में काम आये मैमौरी कार्ड व नए मय मैमोरी कार्ड पेनड्राईव एवं आवश्यक सामग्री के अयाना के लिए रवाना हुये। कार्यालय से रवाना हो समय करीब 05.00 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मय टीम मय वाहनो से गणेशगंज तिराहा पहुंचा जहां मन उप अधीक्षक पुलिस के आगे रवानाशुदा परिवादी पवन जैन, श्री योगेश कानि0 291 व श्री अभिषेक कानि0 197 उपस्थित मिले। परिवादी श्री पवन जैन से आरेपी अतुल सिंह के मोबाईल पर वार्ता करवाकर उसकी लौकेशन की जानकारी करवाई तो आरोपी ने बताया कि मै बैक में हि हूँ। बैक लॉक करके बताता हूँ। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी मय गवाहान मय टीम वाहनों के गणेशगंज तिराहा से अयाना प्रेमपुरा नहर पर पहुंच कर वाहनों को साईड में खडा कर गोपनीय रूप से आरोपी का कॉल आने के इन्तजार में मुकिम हुआ। इसके बाद समय 08.50 पी.एम. पर परिवादी श्री पवन जैन से आरोपी को जर्ये व्हाट्सअप कॉल करवाया तो आरोपी ने बताया कि आज कार्य की अधिकता होने के कारण आपके लोन की सेकण्ड किस्त आपके खाते में नहीं डल पाएगी। जब आपकी लोन की सेंकण्ड किस्त आपके खाते में डलवा दूंगा तब में आप से पैसे ले लूंगा। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने स्वतन्त्र गवाह श्री बाबूलाल जाट से परिवादी की पेन्ट की जेब से रिश्वत राशि निकलवाई जाकर एक कागज के लिफाफें में रखवाकर लिफाफे को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए कहा गया। परिवादी को हिदायत की गई की आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग की जाने पर मन उप अधीक्षक पुलिस को तुरन्त सूचित करें। गोपनीयता की हिदायत कर परिवादी को मौके से रूखसत किया गया। इसके बाद समय 09.00 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहान मय रिश्वत राशि का लिफाफा मय ट्रेप बॉक्स, लेप टोप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉईस रिकार्डर, सत्यापन में काम आये मैमौरी कार्ड, व नए मय मैमोरी कार्ड पेनड्राईव एवं आवश्यक सामग्री के मय सरकारी वाहनो के अयाना से कार्यालय हाजा पहुंचा। स्वतन्त्र गवाह् श्री बाबूलाल जाट से रिश्वत राशि का लिफाफा प्राप्त कर मालखाना इन्चार्ज श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को सुर्पुद कर मालखाना में सुरक्षित रखवाया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को कार्यालय से रूखसत किया गया।दिनांक 24.10.2025 को समय 11.04 ए. एम. पर श्री योगेश कानि0 291 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मेरे मोबाईल पर परिवादी पवन जैन का कॉल आया हैं, उसने बताया कि आरोपी अतुल सिंह ने उसको बताया है कि आज बैक मैनेजर उसके मकान के कन्स्ट्रक्सन कार्य का मौका मुआयना करवायेगा और मौका मुआयना होते ही लोन की सेकण्ड किस्त परिवादी के अकाउण्ट में डालेगा, किस्त परिवादी के खाते में आते ही आरोपी अतुल सिंह रिश्वत राशि 40,000 हजार रूपये उससे तुरंत मांग सकता है। इसलिये आज कार्यवाही की संभावना होने से उक्त कार्यवाही हेतु पूर्व सें पाबन्दशुदा गवाह् को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु जरिये टेलीफोन अवगत कराया। इस पर समय 12.30 पी.एम. पर उक्त ट्रेप कार्यवाही हेतु पाबन्दशुदा गवाह जाकिर हुसैन मय धीरज सैनी, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा, कार्यालय हाजा में उपस्थित हुये तथा बताया कि हमारे कार्यालय सें पूर्व में पाबन्दशुदा गवाह् श्री बाबू लाल जाट वन रक्षक आज दिनांक को अवकाश पर तथा कोटा मुख्यालय से बाहर होने के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हैं अतः श्रीमान उप वन सरंक्षक, कोटा द्वारा बाबूलाल की जगह् धीरज सैनी, कनिष्ठ सहायक को स्वतंत्र गवाह हेतु भिजवाया हैं, मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों गवाहान को होने वाली कार्यवाही सें अवगत कराया तथा गोपनीयता की हिदायत कर अग्रिम आदेश के इन्तजार मे कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिये। फिर समय करीब 02.27 पी.एम. पर श्री योगेश कानि0 291 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मेरे मोबाईल पर परिवादी पवन जैन का कॉल आया हैं उसने बताया कि बैंक मैनेजर के कहेनुसार अति. बैंक मैनेजर अतुल सिंह उसके कन्स्ट्रक्सन कार्य का मौका मुआयना करने आया था और मौका मुआयना के दौरान ही अतुल सिंह ने उसको कहा हैं कि लोन पास करते समय उसके साथ निर्माण कार्य की फोटो आदि अपलोड करनी पडती हैं तथा अभी लोन हेतु जितना निर्माण कार्य होना चाहिये उतना निमार्ण कार्य अभी नहीं हुआ हैं, अतः तुम ये निर्भाण कार्य करवालो, इसके बाद मुझे सूचित कर देवे मैं इस निर्माण कार्य की रिर्पोट बैंक मैनेजर साहब को दे दूंगा और तुम्हारा लोन पास करवा दूंगा। चुंकि अभी परिवादी का बैंक में लोन से संबंधित निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ हैं तथा आरोपी अतुल सिंह परिवादी का लोन होने पर ही रिश्वत राशि परिवादी से लेगा अतः आज ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने से स्वतंत्र गवाहान को अग्रिम आदेश के इन्तजार में गोपनीयता की हिदायत कर अपने कार्यालय हेतु रवाना किया।दिनांक 08.12.2025 को समय 4.10 पी.एम. पर श्री योगेश कानि0 291 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को मोबाईल पर बताया कि परिवादी पवन जैन का अभी थोडी देर पहले मेरे पास कॉल आया था पवन जैन से मेरी बात हुई तो उसने बताया हैं कि मेरे खाते में मेरे मकान के होमलोन की सैकण्ड किशत आज मेरे खाते में आ गई थी, जिसके बाद अतुल िंसह मेरी दुकान पर आकर बैठ गया तथा कहा कि तुम्हारे खाते में होमलोन की सैकण्ड किश्त 8,00,000 रूपये मैने डलवा दी हैं अब मुझे 40,000 रू. दे दो, जिस पर मैने उसको कहा हैं कि आज तो पंचमी हैं तथा मेरे पिताजी ने मना किया हैं कि पंचमी को कोई लेनदेन नहीं करना हैं अतः मैं आपको कल फोन करूं जब आ जाना मै ं आपको रूपये दे दूंगा। परिवादी के कहेनुसार आरोपी को रिश्वत राशि कल दिनांक 09.12.2025 को दी जानी हैं अतः गवाहान को जरिये मोबाईल कल दिनांक 09.12.2025 को प्रातः 10.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।दिनांक 09.12.2025 को समय 10.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान श्री जाकिर हुसैन एवं श्री बाबूलाल कार्यालय हाजा उपस्थित आये, स्वतंत्र गवाहान को परिवादी का कॉल आने के इन्तजार में कार्यालय हाजा में बैठने के निर्देश दिये गये। परिवादी ने जर्ये वाटसअप कोल बताया की आप व आपकी टीम 3 बजे अयाना पहुच जाए। इसके बाद समय

01.30पी.एम. पर श्री आशिक हुसैन, स0उ0नि0 से मालखाने में लिफाफे मे रखी हुई रिश्वती राशि 40,000 रू. निकलवाकर स्वतंत्र गवाह बाबू लाल के पास सुरक्षित रखवाये गये, तत्पश्चात श्री नरेन्द्र सिंह, है.कानि. 140, श्री योगेश कानि0 291 व श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197 एवं श्री रवि यादव कानि. 285 के प्राईवेट वाहन से आगे-आगे रवाना कर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय आशिक हुसैन स.उ.नि. दोनों स्वतंत्र गवाहान सरकारी वाहन बौलेरो मय चालक श्री तवंर सिंह कानि ड्राईवर नं. 506 के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉईस रिकार्डर, सत्यापन में काम आये मैमौरी कार्ड व नए मय मैमोरी कार्ड पेनड्राईव व ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों एवं सामग्री के कार्यालय से रवाना हो समय 03.25 पी.एम. पर उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता, स्वतंत्र गवाहान, प्राईवेट व सरकारी वाहनों के रवानाशुदा परिवादी के आवास के बाहर पहुंचे, जंहा परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया कि अतुल सिंह को कल मैने कहा था कि मै जब आपको कॉल करूं या मैसेज करूं तब आ जाना इसलिए मैं जैसे ही उसको कॉल करूंगा वो तुरंत आ जायेगा, इस पर स्वतंत्र गवाह श्री बाबूलाल से लिफाफे मे से रिश्वती राशि 40,000 रू. निकलवाकर परिवादी की दाहिनी जेब में रखवाये गये तथा परिवादी से अतुल सिंह को वहाट्सअप मैसेज करवाया गया, जिस पर आरोपी ने परिवादी को मैसेज किया कि आ रहा हूं। तत्पश्चात परिवादी को समझाईश की गई कि आपके साथ ये नरेन्द्र जी, योगेश जी एवं रवि आपके घर के अन्दर किसी कमरे में रहेंगे तथा आरोपी आपसे जैसे ही रिश्वत ले ले तथा आपकी उससे बातचीत हो जाये तो आप योगेश को कॉल करके ये बोल देना की "पापा जी आप जाओ"। परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु करवाकर परिवादी को सुपुर्द किया गया तथा परिवादी के साथ घर पर ही रहने के लिए श्री नरेन्द्र सिंह, योगेश एवं रवि को परिवादी के साथ परिवादी के घर के लिए समय 4.02 पी.एम पर रवाना किया गया तथा प्राइवेट एव सरकारी वाहन को साईड में खडा करवाया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय आशिक हुसैन एवं स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के घर के रास्ते पर मैन रोड पर अपनी उपस्थिती छिपाते हुये खडे हुये। इसके बाद समय 04.10 पी.एम. पर परिवादी श्री पवन जैन ने आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का योगेश के मोबाईल पर कॉल करके बताया की पापा मैं आपको लेने आ रहा हूं, जिस पर परिवादी के मकान के कमरे मैं मौजूद श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 ने मन उप अधीक्षक को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के बारे में बताकर परिवादी के मकान में अन्दर आने के लिए कहा तथा नरेन्द्र सिंह है.कानि. एवं श्री योगेश कुमार कानि. 291, श्री रवि यादव कानि. 285 ने कमरे से बाहर आकर आरोपी को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, इसी समय मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जाकिर हुसैन व बाबू लाल जाट व ट्रेप पार्टी के सदस्यों, श्री आशिक हुसैन, स.उ.नि., श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197, श्री योगेश कुमार, कानि. 291, मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणो मय ट्रेप बॉक्स के परिवादी के मकान के अन्दर प्रवेश किया तथा श्री अभिषेक कानि. 197 को होने वाली समस्त कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग के निर्देश दिये।परिवादी के मकान के अन्दर प्रवेश करने पर एक व्यक्ति, जिसने सफेद लाईनदार शर्ट एवं स्लेटी रंग की पेंट पहनी हुई थी जिसके पास परिवादी पवन जैन, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री योगेश कानि. एवं श्री रवि कानि. खडे हुये थे, मन उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत कराते हुये उससे उसका नाम पता पूछा जिस पर उसने अपना नाम अतुल कुमार सिंह, हाल असिस्टेंट बैंक मैनेजर, राजस्थान ग्रामीण बैंक, अयाना बताया, तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो आरोपी ने कहा कि मैने 40,000 रू. पवन से उधार लिये हैं जो मैने इससे लेकर गिनकर अपनी पेंट की जेब में रख लिये हैं, इस पर परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये कहा कि सर ये झूंठ बोल रहे हैं, इन्होने मुझे परेशान कर रखा हैं, इन्होने कहा कि मैने आपका लोन करवा दिया हैं तथा सैकण्ड किश्त कल ही डली हैं तथा ये कल ही मेरे पास आ गये कि आपकी सैकण्ड किश्त आपके खाते में आ गई हैं मुझे 40,000 रू. दो जिस पर मैने इनको आज पैसे देने के लिए कहा था आज मैने जैसे ही इनको मैसेज किया इनका वाट्सएप कॉल आ गया तथा बात होते ही तुरंत ही मेरे घर पर आ गये यंहा पर आने पर मैने इनको 40,000 रू. निकालकर दिये तो इन्होने कहा कि ये तो कम लग रहे हैं मैने कहा कम कितने जिस पर इन्होने कहा कि ये तो तीस ही लग रहे हैं जिस पर मैने इनको कहा था कि आप गिनो तो सही इस पर इन्होने सारे नोट गिने तथा 40,000 रू पूरे होने पर अपनी पेंट की जेब में रख लिये इसके बाद मैने योगेश जी को कॉल करके इशारा किया था, मैने इनको कोई रूपये उधार नहीं दिये हैं, ये राशि मेरे मकान पर होम लोन पास करवाने की एवज में इनके द्वारा रिश्वत के रूप में ली गई है, इस पर आरोपी अतुल कुमार मौन रहा, चूंकि आरोपी ने स्वीकार किया हैं कि उसने परिवादी पवन जैन से 40,000 रू. लेकर गिनकर अपनी पेंट की जेब में रख लिये हैं, अतः आरोपी की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की, एक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर व एक स्टील जग से पीने का पानी डलवाया जाकर, गिलास में घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी अतुल कुमार सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात एक नया डिस्पोजल गिलास लिया गया तथा गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर उसमें पीने के पानी की बोतल से पानी डलवाकर हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया तत्पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर

मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया।तत्पश्चात अतुल कुमार सिंह की पेंट की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह श्री जाकिर हुसैन से लिवाई गई तो जेब में पांच-पांच सौ रूपये के नोट मिले जिनको जाकिर हुसैन से गिनवाया गया तो वो 40,000 रू. थे उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान गवाहान से फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ, नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। रिश्वती राशि आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब से बरामद होने आरोपी की पेंट का धोवन लिया जाना आवश्यक हैं अतः आरोपी अतुल कुमार सिंह को एक पायजामा पहनने के लिए दिया गया तथा उनकी पेंट की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाने हेतु एक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर व पानी डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया तत्पश्चात उक्त घोल में पेंट की दाहिनी जेब को उलटवाकर गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क P-1, P -2 अंकित किया। इसके पश्चात पेंट की जेब को सुखाकर जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षकर करवाकर एक कपडे की सफैद थैली में पेंट को रखकर थैली पर मार्क- P अंकित कर सील्ड चिट कर कब्जा एसीबी लिये गये। श्री अभिषेक कानि. से मोबाईल से की जा रही कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को बन्द करवाया गया तथा मोबाईल सें मेमोरी कार्ड निकलवाकर सुरक्षित रखा गया। आरोपी के आवास की खानातलाशी बाबत उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया ।परिवादी से प्राप्त किये गये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुये मेमोरी कार्ड को लेपटोप कनेक्ट कर वक्त लेनदेन हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो वार्ता में परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई है। आरोपी श्री अतुल कुमार िसह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जाकिर हुसैन सें लिवाई गई तो उसके पहने हुये कपडों में पेंट की जेब में सात सौ रूपये, दो मोबाईल जिनमें एक रियलमी कम्पनी का एण्ड्रॉयड मोबाईल तथा एक नोकिया कम्पनी का की पैड मोबाईल तथा एक एयरटेल कम्पनी का वाईफाई इन्स्ट्रूमेंट मिला, आरोपी अतुल कुमार िसह ने बताया कि नोकिया कम्पनी का की पैड मोबाईल तथा एयरटेल कम्पनी का वाईफाई इन्स्ट्रूमेंट बैंक की संपत्ति हैं। नोकिया मोबाईल एवं वाईफाई इन्स्ट्रूमेंट को पृथक सें बैंक मैनेजर को सुपुर्द किया गया तथा एण्ड्राईड मोबाईल से परिवादी एव आरोपी के मध्य रिश्वत लेनदेन के संबंध में कई बात वा्ट्सएप कॉल तथा चैटींग हो रखी हैं अतः उक्त मोबाईल को अनशील्ड वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा तलाशी में मिले 700 रू. के बारे मे स्वंय के खर्च के लिए रखना बताया हैं अतः उक्त 700 रू. को आरोपी के परिजनो को पृथक से लौटाये जायेंगे।चूंकि परिवादी के आवास मे बच्चों को ट्यूशन पढाया जाता हैं तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द टंकित की जानी हैं अतः परिवादी के आवास से मय परिवादी मय आरोपीगण अतुल कुमार िसह एवं स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता मय जब्तशुदा समस्त आर्टिकल व राशि व ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों के सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों व आरोपी की मोटरसाईकिल के थाना अयाना पहुंचे जंहा थाना परिसर के एक कक्ष में फर्द बरामदगी की टंकण की कार्यवाही की गई। आरोपी अतुल कुमार सिंह से परिवादी के कार्य के संबंध में पूछा तो कहा कि इनके कार्य की फाईल बैंक में ही हैं, इस पर परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेज पेश किये जाने हेतु बैंक मैनेजर, राजस्थान ग्रामीण बैंक अयाना को पृथक से तहरीर जारी की गई।उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी के प्रार्थना पत्र अनुसार परिवादी द्वारा अपने मकान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा अयाना से 24,50,000 का होम लोन हेतु आवेदन किया, जिसकी प्रथम किस्त 8,00,000 लाख दिनांक 25.09.2025 को परिवादी के खाते में आ गई तथा होम लोन की द्वितीय किस्त की राशि 7,00,000 लाख रूपये परिवादी के खाते में डलवाने की एवज में असिस्टेंट बैंक मैनेजर श्री अतुल सिंह ने परिवादी से 1,00,000 रूपये रिश्वत के रूप में मांग की तथा मांग पूरी नही करने पर दूसरी किस्त को रोकने की धमकी दी, जिस पर परिवादी द्वारा भ्र.नि.ब्यूरो में शिकायत कर मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा होम लोन की दूसरी किश्त डलते ही 40,000 रू. देने के कहने की पुष्टि हुई, तत्पश्चात दिनांक 08.12.2025 को परिवादी के खाते में दूसरी किश्त के पैसे 8,00,000 डलते ही आरोपी ने 40,000 रू. देने के लिए दबाव डाला जिस पर दिनांक 09.12.2025 को ट्रेप कार्यवाही की गई। आरोपी अतुल कुमार सिंह की पेंट से 40,000 रू. रिश्वत राशि बरामद होने, आरोपी अतुल कुमार सिंह के दोनों हाथों के धोवन का रंग गुलाबी आने तथा पेंट की जेब के धोवन का रंग गुलाबी आने से आरोपी अतुल कुमार सिंह पुत्र श्री नन्दन सिंह उम्र 38 साल निवासी- मकान नं. 2/202, सेक्टर, एल.डी.ए. कोलोनी, लखनऊ, उत्तरप्रदेश हाल ऑफीसर स्केल-1 (असिस्टेंट मैनेजर) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अयाना जिला कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से दण्डनीय अपराध है। फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर हाजरीन को पढवाई गई, पढकर कर सही मान सभी ने अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित किये फर्द बरामदगी शामिल फाईल की गई। तत्पश्चात् समय 07.10 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अतुल कुमार िसह को परिवादी पवन जैन एवं उसके मध्य हुई दिनांक 09.10.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 09.12.2025 की वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता में रिकॉर्ड आवाज का मिलान का परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमुना दिये जाने के लिए नोटिस नमुना आवाज दिया गया, नोटिस पर अतुल कुमार सिंह ने स्वंय के हस्तलेख से लिखकर दिया कि "श्रीमान जी मैं अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं" नोटिस को शामिल फाईल किया गया। इसके बाद समय 08.00 पी.एम. पर डिटेनशुदा आरोपी को थाना अयाना में जाब्ते की निगरानी में छोडा गया तथा घटना स्थल का नक्शा मुर्तिब किये जाने हेतु मन उप अधीक्षक

पुलिस मय पत्रावली मय आशिक हुसैन स0उ0नि0 मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी के किराये का मकान जगदीश मीना पुत्र प्रभु लाल मीणा, इटावा रोड अयाना के लिए रवाना होकर घटना स्थल पर पहुंचे तथा परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा शामिल फाईल किया गया। फिर समय 08.25 पी.एम. पर नक्शा मौका हेतु रवानाशुदा मन उप अधीक्षक पुलिस थाना अयाना पर वापस आया तथा आरोपी अतुल कुमार िसह के किराये के मकान की खाना तलाशी हेतु आरोपी अतुल कुमार सिंह मय अभिषेक कानि. 197, श्री रवि कुमार कानि.285 मय स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर मय सरकारी वाहन मय चालक तवंर सिंह के आरोपी के आवास रामरतन मीणा, के मकान अयाना के लिए रवाना हुआ। इसके बाद समय 08.30 पी.एम. पर आरोपी अतुल कुमार िसह के किराये के मकान की खाना तलाशी हेतु आरोपी अतुल कुमार सिंह मय अभिषेक कानि. 197, श्री रवि कुमार कानि.285 मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी वाहन मय चालक तवंर सिंह के आरोपी के आवास रामरतन मीणा, के मकान अयाना के लिए रवाना हो पहुंचा तथा खानातलाशी मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई तथा बाद खानातलाशी हमराहियान के रवाना हो थाना अयाना पंहुचा, जहां समय 09.30 पी.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री जाकीर हुसैन व श्री बाबूलाल जाट के समक्ष परिवादी श्री पवन जैन व आरोपी अतुल सिंह के मध्य दिनांक 09.12.2025 को हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता जिसे परिवादी पवन जैन द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉडर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया था, को श्री योगेश गोचर कानि0 291 के द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉडर मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे कनेक्ट कर वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनो गवाहान को सुनाया गया, तो परिवादी ने रिकॉर्डेड आवाज की पहचान कर एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी अतुल सिंह की होना बताया। रिकोर्डेड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री योगेश कानि0 291 से जर्ये लेपटॉप नियमानुसार तैयार करवायी गयी। फर्द पर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् समय 10.30 पी.एम. पर आरोपी अतुल कुमार सिहं ऑफिसर स्केल 1 (असिस्टेट मेनेजर), राजस्थान ग्रामीण बैक आयाना जिला कोटा, द्वारा परिवादी के मकान पर लोन की द्वितीय किस्त की राशि 7,00,000 लाख रूपये परिवादी के खाते में डलवाने की एवज में परिवादी से 1,00,000 रूपये रिश्वत के रूप में मांग की तथा मांग पूरी नही करने पर दूसरी किस्त को रोकने की धमकी दी, जिस पर परिवादी द्वारा भ्र.नि. ब्यूरो में शिकायत कर मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा दूसरी किश्त डलते ही 40,000 रू. देने के कहने की पुष्टि होने, दिनांक 09.12.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी अतुल कुमार सिंह की पेंट से 40,000 रू. रिश्वत राशि बरामद होने, दोनों हाथों के धोवन का रंग गुलाबी आने तथा पेंट की जेब के धोवन का रंग गुलाबी आने से आरोपी अतुल कुमार सिंह पुत्र श्री नन्दन सिंह उम्र 38 साल निवासी- मकान नं. 2/202, सेक्टर, एल.डी.ए. कोलोनी, लखनऊ, उत्तरप्रदेश हाल ऑफीसर स्केल-1 (असिस्टेंट मैनेजर) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अयाना जिला कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध हैं, चूंकि इस संबंध मे आरोपी से अनुसंधान किया जाना शेष है, आरोपी प्रभावशाली है, जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को डरा धमका कर या अन्य तरीके से प्रभावित कर सकता है एवं अनुसंधान मे विपरित प्रभाव डाल सकता है, अतः उपरोक्त कारणों एवं आरोपी की न्यायालय मे उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक होने से आरोपी को गिरफ्तारी के उपरोक्त कारणों एवं संवैधानिक अधिकारां से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना जरिये मोबाईल राजस्थान ग्रामीण बैंक, अयाना के मैनेजर श्री शशिकांत को मोबाईल नम्बर- पर दी गई। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर करवा, शामिल फाईल की गई। इसके बाद समय 11.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी अतुल कुमार सिंह व परिवादी पवन जैन के मध्य दिनांक 09.10.2025 हुई वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में फाईल 251009_2027.mp3 जो 30229 KB तथा दिनांक 09.12.2025 को परिवादी पवन जैन व आरोपी अतुल कुमार सिंह के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में फाईल 251209_1602.mp3 जो 6,119 KB, उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं को श्री योगेश कानि 291 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्डो सें कॉपी कर लेपटोप मे लिवाया जाकर वार्ता की सभी फाईलों की हैस वैल्यू निकाली गई तथा उक्त वार्ताओ के SanDisk 32 GB Cruzer Blade TM USB 2.0 Flase Drive कंपनी के चार पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेन ड्राईव आरोपी के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर किये गये तथा उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर्स में लगे हुए दोनों मेमोरी कार्डस् Sandisk 32 GB micro SDHC-1 को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर, दोनो मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की पृथक-पृथक थेलियों में रखकर सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पैन ड्राईव अनशील्ड अनुसंधान अधिकारी के लिये रखकर शामिल पत्रावली किया गया, तत्पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही सीजर की कार्यवाही को कार्यालय के मोबाईल में लगे हुये मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में, जरिये मोबाईल श्री अभिषेक कानि0 197 द्वारा रिकॉर्ड किया गया

था। जिसकी मेमोरी कार्ड मे दो फाईल क्रमशः 20241209_191915.mp4, जो 4194018 KB 20241209_195332.mp4, जो 2238012 KB की हैं। उक्त मोबाईल में लगे हुये मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप से श्री योगेश कानि 291 के द्वारा लेपटोप पर कनेक्ट करवाकर उक्त मेमेरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई विडियो रिकॉर्डिंग फाईलों की हैस वैल्यू निकाली गई तथा उक्त वीडियोग्राफी को जरिये लेपटॉप SanDisk 32 GB Cruzer Blade TM USB 2.0 Flase Drive कंपनी के दो पेन ड्राईव में पेस्ट किया गया, एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिए वजह सबूत कपड़े की थैली में रखा जाकर सील मोहर किया गया तथा मूल मेमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 को माननीय न्यायालय के लिए वजह सबूत जप्त कर कपड़े की थैली में रखा जाकर सील मोहर किया गया एवं कपडे की थैली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राइव कवर मे अनशील्ड अनुसंधान अधिकारी के लिये रखकर शामिल पत्रावली किया गया फर्द प्रतिलिपिकरण व जब्ती पेन ड्राईव व मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। फर्द एंव हैश वेल्यू मुर्तिब की जाकर सम्बधितो को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। फर्द एवं हैशवेल्यू मुर्तिब शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् खानातलाशी के दौरान रवि कुमार कानि 285 द्वारा सरकारी मोबाईल एनड्रोईड में नया मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 लगाकर विडियोग्राफी की गई। जिसको श्री रवि कुमार कानि. 285 द्वारा सरकारी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड को कार्ड रिडर मे लगाकर लेपटॉप में लगाया गया तथा मूल मैमोरी कार्ड में की गई वीडियो ग्राफी को कॉपी कर पेन ड्राईव Sandisk Cruzer Blade TM 32 GB USB 2.0 Flash Drive में पेस्ट किया गया। मूल मैमोरी कार्ड को कवर में रखकर माननीय न्यायालय के लिये एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर किया गया तथा वीडियोंग्राफी के पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी के लिये खुला रखा गया। उक्त की फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।दिनांक 10.12.2025 को समय 01.00 ए.एम. पर परिवादी को थाना अयाना से अपने आवास के लिए रूखसत किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिम श्री अतुल कुमार सिंह, मय जाब्ता, मय स्वतंत्र गवाहान जाकिर हुसैन एवं बाबूलाल, मय जब्तशुदा आर्टिकल छः धोवन की शीशियां, एक पेंट का पैकिट, शील्डशुदा पृथक-पृथक चार मेमोरी कार्ड, सात पेन ड्राईव, जब्तशुदा रिश्वती राशि 40,000 रू., का लिफाफा मय आरोपी का मोबाईल रियलमी कम्पनी का मय सरकारी व प्राइवेट वाहन से कोटा के लिए रवाना हुये। समय करीब 02.30 ए.एम. पर थाना अयाना से रवानाशुदा मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान का थाना नयापुरा कोटा पहुंचा जंहा श्री अतुल कुमार सिंह को रात्री में सुरक्षा की दृष्टि से जरिये तहरीर थाना नयापुरा की हवालात में जमा करवाया एवं हमराहीयान के कार्यालय हाजा के लिये रवाना हुआ। इसके बाद समय 03.00 ए.एम. पर मन् पुलिसउप अधीक्षक मय जाब्ता मय स्वतत्रं गवाहान मय जब्तशुदा आर्टिकल के जब्तशुदा आर्टिकल छः धोवन की शीशियां, एक पेंट का पैकिट, शील्डशुदा पृथक-पृथक चार मेमोरी कार्ड, सात पेन ड्राईव, जब्तशुदा रिश्वती राशि 40,000 रू., का लिफाफा मय आरोपी का मोबाईल रियलमी कम्पनी, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं ट्रेप में काम आने वाले उपकरण के थाना नयापुरा कोटा से रवाना हो चौकी हाजा उपस्थित आये तथा उपरोक्त जब्तशुदा समस्त आर्टिकल मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन स.उ.नि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। बाद सम्पूर्ण कार्यवाही स्वतंत्र गवाहान श्री जाकिर हुसैन एवं श्री बाबूलाल को जायद तैनाती रवाना किया गयां ।उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी के प्रार्थना पत्र अनुसार परिवादी द्वारा अपने मकान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा अयाना से 24,50,000 का होम लोन हेतु आवेदन किया, जिसकी प्रथम किस्त 8,00,000 लाख दिनांक 25.09.2025 को परिवादी के खाते में आ गई तथा होम लोन की द्वितीय किस्त की राशि 7,00,000 लाख रूपये परिवादी के खाते में डलवाने की एवज में असिस्टेंट बैंक मैनेजर श्री अतुल सिंह ने परिवादी से 1,00,000 रूपये रिश्वत के रूप में मांग की तथा मांग पूरी नही करने पर दूसरी किस्त को रोकने की धमकी दी, जिस पर परिवादी द्वारा भ्र.नि.ब्यूरो में शिकायत कर मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा होम लोन की दूसरी किशत डलते ही 40,000 रू. देने के कहने की पुष्टि हुई, तत्पश्चात दिनांक 08.12.2025 को परिवादी के खाते में दूसरी किशत के पैसे 8,00,000 डलते ही आरोपी ने 40,000 रू. देने के लिए दबाव डाला जिस पर दिनांक 09.12.2025 को ट्रेप कार्यवाही की गई। आरोपी अतुल कुमार सिंह की पेंट से 40,000 रू. रिश्वत राशि बरामद होने, आरोपी अतुल कुमार सिंह के दोनों हाथों के धोवन का रंग गुलाबी आने तथा पेंट की जेब के धोवन का रंग गुलाबी आने से आरोपी अतुल कुमार सिंह हाल ऑफीसर स्केल-1 (असिस्टेंट मैनेजर) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अयाना जिला कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से दण्डनीय अपराध है।अतः आरोपी अतुल कुमार सिंह पुत्र श्री नन्दन सिंह उम्र 38 साल निवासी- मकान नं. 2/202, सेक्टर, एल.डी.ए. कोलोनी, लखनऊ, उत्तरप्रदेश हाल ऑफीसर स्केल-1 (असिस्टेंट मैनेजर) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अयाना जिला कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजिबद्ध करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित है।(अनिष अहमद) उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा.............कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अतुल कुमार सिंह पुत्र श्री नन्दन सिंह उम्र 38 साल निवासी-

मकान नं. 2/202, सेक्टर, एल.डी.ए. कोलोनी, लखनऊ, उत्तरप्रदेश हाल ऑफीसर स्केल-1 (असिस्टेंट मैनेजर) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अयाना जिला कोटा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मुकुल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एस.यू. कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 163 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1857-60 दिनांक 11.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- महाप्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, तुलसी टावर, नवीं बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर, 342003 (कैम्प कार्यालय जोधपुर) 3- उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MUKUL SHARMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)